न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 35 / 2024	2024 / 86	28.03.2024	08.04.2025

1. प्रभूदयाल पुत्र भगताराम
2. कन्हैयालाल पुत्र भगताराम
3. रामकिशन पुत्र भगताराम
4. रामजीलाल पुत्र भगताराम
5. सावताराम पुत्र धन्नाराम
6. रमेश पुत्र धन्नाराम
7. रगलाल पुत्र धन्नाराम, निवासीयान ग्राम गुवाडा राड़ी नयाबास तन अजबगढ़ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. घीसा पुत्र टुण्डा निवासी ग्राम गुवाडा राड़ी नयाबास तन अजबगढ़ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—असल अप्रार्थी

2. छोटेलाल पुत्र धन्नाराम निवासी ग्राम गुवाडा राड़ी नयाबास तन अजबगढ़ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 हाल निवासी तैनात पिटी एस जोधपुर राज0 वेलट नं. 111

— तरतीबी अप्रार्थी

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01—श्री के.के. शर्मा, —वकील प्रार्थीगण
02—श्री रामावतार मीणा —वकील अप्रार्थीगण

—:निर्णय:—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़, जिला अलवर के प्रकरण बउनवान घीसा बनाम प्रभूदयाल वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया, जिसमें विगत तारीख पेशी 04.04.2025 नियत थी। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि असल गैरसायल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनुवानी घीसा बनाम, प्रभुदयाल वगैरा मिन सायलान एवं तरतीबी गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 04—04—2024 की नियत है। असल गैरसायल द्वारा उक्त मुकदमा नितान्त गलत तथ्यों के आधार पर तथा सरासर विधि विरुद्ध तरीके से प्रस्तुत किया हुआ है। क्योंकि पक्षकारान मुकदमा एक ही जाति (मीना) के हैं। ऐसी स्थिति में कानूनन धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नहीं है। अंतर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति ही दीगर यानि सवर्ण जाति के व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर सकता है। इसलिए मिन सायलान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल खारिज है। मिन सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. अधीनस्थ न्यायालय में लंबित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

महोदय उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं करके मूल प्रार्थना पत्र सुनवाई कर उसका निस्तारण करना चाहते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। किसी भी मामले में यदि विपक्षी पक्षकार द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह आक्षेप किया जाता है कि प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित है तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर आक्षेप का निस्तारण करना आवश्यक है। किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं करके मूल प्रार्थना पत्र पर ही सुनवाई की जा रही है तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा इस प्रकरण में विशेष रूची लेते हुए छोटी छोटी पेशी दी जा रही है यथा दिनांक 01-03-24, 12-03-24, 20-03-24 की पेशी देने के बाद अब 04-04-24 की पेशी नियत की गई है।

विवादित आराजी के बाबत ही सिविल एवं राजस्व न्यायालय में दीगर मुकदमे भी विचाराधीन है। इसके बावजूद विधि के प्रावधानों के खिलाफ उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर कार्यवाही की जा रही है, जो कि सरासर गलत एवं विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ के पीठासीन अधिकारी महोदय असल गैरसायल के बेजा प्रभाव में है तथा असल गैरसायल घीसा खुलेआम गांव में कहता है कि उसने स्थानीय विधायक से तहसीलदार साहब को कहलवा दिया है तथा वो उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर शीघ्र ही उसके पक्ष में निर्णय कर देंगे और उसे जमीन का कब्जा दिला देंगे तथा विगत पेशी दिनांक 20-03-2024 को पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले रूप से यह कहा कि वो मिन सायलान के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं करेंगे बल्कि असल गैरसायल के मूल प्रार्थना पत्र का ही निस्तारण करेंगे। उपरोक्त तमाम परिस्थतियों में सायलान को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय से निष्पक्ष न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। इसलिए सायलान उक्त प्रकरण को किसी दीगर सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में मुंतकिल कराना चाहते हैं, जिससे कि निष्पक्ष न्याय हो सके। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र नेक नियति से अदालत श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर मुकदमा बअनुवानी घीसा बनाम प्रभूदयाल वगैरा, अंतर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, आगामी तारीख पेशी दिनांक 04-04-2024 को न्यायालय तहसीलदार, प्रतापगढ़ जिला अलवर से किसी दीगर सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में मुंतकिल फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी के वारिसान ने लिखित जवाब/बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि सायलान/प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिल किये जाने मुकदमा गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर तथा बेजा रूप से मिन गैरसायल/अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया जिसमें सायल ने मुकदमा को मुन्तकिल करने हेतु कोई ठोस व उचित आधार भी अंकित नहीं किया है। जबकि मिन गैरसायल प्रभुदयाल की ओर से मुकदमा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा०दी० का पेश किया जो खारिज हो चुका है। प्रकरण में तहसीलदार महोदय की ओर से भी जवाब पेश किया गया है जिस जवाब के अनुसार भी प्रार्थना पत्र बेजा रूप से व विधि विरूद्ध पेश किया गया है तथा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश करने की कोई माकूल कारण व वजुहात भी नही है मात्र प्रकरण को लम्बित रखने की नियत से आधारहीन व मनगढन्त पेश किया गया है। जिसमें यह भी अंकित किया गया है कि विवादित आराजी गैरसायल/अप्रार्थी घीसा पुत्र टुण्डा की खातेदारी की आराजी है जिसका देहान्त हो चुका है तथा मिन गैरसायलान उक्त मृतक घीसा के विधिक वारीसान है। पक्षकारान जाति से मीणा होने के कारण सायल को धारा 183वी के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही था। जिसके जवाब में यह भी अंकित किया गया है कि उक्त प्रकरण में न तो कोई स्थगन आदेश है न ही राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 की धारा 183वी के प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को प्रभावित करते है

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

इसलिए ऐसी कोई स्थिति नही है जिससे मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो, जो हर सूरत में खारीज होने योग्य है। इस प्रकार मुन्तकली प्रार्थीयों द्वारा आधारहीन बेबुनियाद व विधि विरूद्ध कथनो के आधार पर मुकदमा को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरित करने की प्रार्थना की गई है जो प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि सायल की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिली मुकदमा मय हर्जा खर्चा दिलाया जाकर खारीज फरमाने की कृपा करे।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन-मनन किया। तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 255 रकबा 0.76 हैक्टेयर वाके ग्राम गुवाडा राडी में घीसा पुत्र टुण्डा की खातेदारी में कृषि भूमि के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी के अन्तर्गत खातेदारी आसामी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लिये जाने पर ऐसे अ.ज.जा. के खातेदार आसामी को अपनी भूमि मुक्त करवाने का विधिक अधिकार है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के तहत प्रकरण को खारिज करना अनुचित है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत यह कथन है कि प्रार्थी घीसा जाति से मीना है तथा अप्रार्थीगण भी मीना जाति के सदस्य है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी में यह प्रावधान दिये गये है कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति की भूमि पर कोई स्वर्ण जाति का व्यक्ति अवैध कब्जा करता है तो धारा 183बी के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय तहसीलदार को उक्त प्रकरण में सुनवाई करने एवं विधि के अनुसार न्यायोचित कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है। उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों की जाति के सदस्य होने के कारण प्रार्थी को धारा 183बी के तहत न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें। धारा 183बी के तहत किसी अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा करने पर न्यायालय को इस प्रकरणों में विधिवत सूनवाई कर निर्णय करने के प्रावधान है। इस प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं मनन करने के बाद अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. को इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी के तहत दर्ज प्रकरण के लिए राज० काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 5 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार धारा 183 वी तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण जहां तक हो सके 3 माह में पूर्ण किये जाने के निर्देश प्रदान है। इस प्रकरण को 3 माह से अधिक होने कारण छोटी छोटी पेशी दी जारी है। प्रकरण में पटवारी मुताबिक अजजा के लोगों की भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने बाबत रिपोर्ट इस न्यायालय में प्राप्त है। प्रकरण में इस न्यायालय स्तर पर नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिया जाकर कार्यवाही की जा रही है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पैरा के अन्य कथन मनगढन्त बेबुनियाद एवं मिथ्या है। अप्रार्थीगण द्वारा सिविल एवं राजस्व न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें की प्रति इस न्यायालय में पेशी की है। सिविल एवं राजस्व न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें में न तो कोई स्थगन आदेश है नहीं राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 183बी के प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को प्रभावित करते है। प्रार्थीगण द्वारा किये गये कथन आधारहीन है एवं मनगढन्त बेबुनियाद है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के प्रार्थी प्रकरण में अनावश्यक लम्बित रखने के लिए श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार मुन्तकिली प्रार्थीयों द्वारा आधारहीन बेबुनियाद विधि विरूद्ध कथनों के आधार पर प्रार्थना की जाकर प्रकरण को इस न्यायालय से अन्य न्यायालय में हस्तांतरित करने हेतु प्रार्थना की गई है। फिर भी माननीय श्रीमान के द्वारा इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

को प्रकरण स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा गुंतकिल प्रार्थना-पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ-पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना-पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र गुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का मुन्तकिल प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 घीसा के मृतक होने पर उसके वारिसान द्वारा जर्ये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 जा.दी. पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ को आदेशित किया जाता है कि अपने स्तर पर मृतक घीसा के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान